तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुरेन्द्र पंवार बनाम लो.सू.अ.(उप जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 19/2021	
01.03.21	अपीलार्थी सुरेन्द्र पंवार पुत्र भगवतीप्रसाद निवासी प्लॉट नं.0 के–398, थर्ड एक्सटेंशन कमला नेहरूनगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.11.20 में उसके द्वारा (1) जोधपुर नगर निगम चुनाव वार्ड संख्या 4 दक्षिण दिनांक 01.11.2020 के सम्पूर्ण भाग संख्या 1 से 5 तक कुल बुथ 09 की प्रमाणित प्रतिलिपिं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उप जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर एवं अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, शहर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 261 दिनांक 12.02.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 112 दिनांक 14.01.21 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में चाही गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि जोधपुर नगर निगम चुनाव वार्ड सं0 4 दक्षिण दिनांक 1/11/2020 के सम्पूर्ण भाग संख्या 1 से 5 तक कुल बुथ 9 की कुल वोटर लगे 3108 के वोटर के हस्ताक्षर (साईन) वाले रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई तो निर्वाचन कार्यालय में पांच बार गया कभी कहा स्टॉफ को कोराना हो गया, कभी कहा नकल इस सप्ताह में करवा देने को कहा। अब सूचना स्पष्ट उल्लेख नहीं होना लिखा जा रहा है। चूंकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाही जा रही सूचना का स्पष्ट उल्लेख होने से हम लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना यदि विधिक प्रावधानों में देय है तो तुरन्त उपलब्ध करावे अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	